दूरभाष/फैक्स : 0120-2882025

सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

हॉल सं0-S-1, वसुन्धरा कॉम्पलैक्स, सैक्टर-16ए, वसुन्धरा, गाजियाबाद।

पत्रांक: 2846 / सं0प्र0 गाजियाबाद / दिनांक: 08/01/07

व्यवसायिक भूखण्ड हेतु प्रदेशन पत्र

पंजीकृत डाक द्वारा

सेवा में,

श्री रामपाल भूरिया पुत्र श्री देवारामभूरिया
ग्राम व पोस्ट - कलरू (KALARU)
मेड़ता सिटी (Merta city)
जि0 नागौर (Nagour) राजस्थान-341510

क्षेत्रफल में क्षति होने के कारण प्रदेशन पत्र सं0 5 दि 4-1-07 संशोधित

विषय: वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या- 15/ग्राम-2 (कलिर) की नीलामी के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको सूचित करना है कि दिनांक 23.12.06 को हुई नीलामी में आपके द्वारा व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 15/ग्राम-2 के विरूद्ध बोली लगी उच्चतम बोली रू0- 38104=00 प्रति वर्ग मीटर सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली गयी है। यह प्रदेशन आपको परिषद द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के अन्तर्गत किया गया है। जिसके विरूद्ध आपको निम्नलिखित विवरण के अनुसार भुगतान करना है :-

1. व्यवसायिक भूखण्ड का क्षेत्रफल 6465.19 व0मी0।

2. (अ) उच्चतम बोली रू0- 38104=00 के अनुसार भूखण्ड का मूल्य — रू0- 2,46,34,9600=00
   (ब) कॉर्नर शुल्क उच्चतम बोली का 10 प्रतिशत — रू0 ....
   (स) फ्री-होल्ड शुल्क 12 प्रतिशत (अ+ब) — रू0- ....

   कुल मूल्य — रू0 24,63,49,600=00

3. प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से तीन माह में स्वीकृत मूल्य की 20 प्रतिशत धनराशि रू0 4,92,69,920=00 जिसमें टोकन धनराशि रू0 2,37,19,100/- के समायोजन होने के उपरान्त शेष धनराशि जोकि दिनांक 31.3.07 तक जमा की जानी है। — रू0 2,55,50820=00

4. प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से छः माह में स्वीकृत मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि रू0- 2,46,34960=00 जोकि दिनांक 30.6.07 तक जमा की जानी है। — रू0- 2,46,34,960=00

5. प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से नौ माह में स्वीकृत मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि रू0- 2,46,34,960=00 जोकि दिनांक 30.9.07 तक जमा की जानी है। — रू0- 2,46,34,960=00

6. प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष में स्वीकृत मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि रू0- 2,46,34,960=00 जोकि दिनांक 31/12/07 तक जमा की जानी है। — रू0- 2,46,34,960=00

आई0एस0ओ0 9001-2000 प्रमाणित

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

वसुन्धरा, गाजियाबाद

7. स्वीकृत मूल्य की शेष 50 प्रतिशत धनराशि रू0–1,23,17,480 की 18 प्रतिशत ब्याज सहित 72 मासिक किश्तें देनी होंगी। किश्त की धनराशि रू0 28,09,620 होगी जोकि दिनांक 1-1-08 से देय होगी। शेष किश्तें इसी कम में आगे देय होंगी जिसका भुगतान उसी माह के अन्तिम कार्यदिवस तक किया जा सकता है। विलम्ब की दशा में नियमानुसार 24 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज पूर्ण माह का देना होगी।

8.	अ – विकय विलेख निष्पादन शुल्क	रू0	300.00
	ब– विज्ञापन व्यय 0.25 प्रतिशत	रू0	615874
	(31.12.07 तक देय)	योग	616174

उपरोक्त विवरण के अनुसार देय धनराशि ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, मेवाड़ इन्स्टीट्यूट सेक्टर–4 वसुन्धरा शाखा गाजियाबाद के परिषद खाते में उपरोक्त तिथि तक अवश्य जमा करानी होगी एवं किसी भी धनराशि के विलम्ब से भुगतान करने पर 24 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज पूर्ण माह का देय होगा। प्रदेशन पत्र के द्वारा वांछित धनराशि एवं समस्त वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति निर्धारित अवधि में करनी होगी अन्यथा भूखण्ड का प्रदेशन नियमानुसार निरस्त कर दिया जायेगा। शेष शर्तें निम्नवत है –

अ. परिषद से मानचित्र स्वीकृत कराकर व्यवसायिक भूखण्ड पर निर्माण कराने हेतु अनुमन्य अवधि कब्जा प्राप्त करने की तिथि से पांच वर्ष है।

ब. व्यवसायिक भूखण्ड का एफ0ए0आर0 1:20 अनुमन्य होगा।

स. विद्युत / डाराफारगार का व्यय स्वयं केता को व्यय करना होगा।

द. भूखण्ड का कब्जा रजिस्ट्री उपरान्त देय होगा। सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु इस पत्र पर नीचे अंकित सभी प्रपत्र दिनांक 31/12/07 तक इस कार्यालय में जमा करा दें अन्यथा रू0– 50.00 प्रतिदिन की दर से सम्पूर्ण प्रपत्र जमा कराने की तिथि तक विलम्ब शुल्क देय होगा। कब्जा पत्र निर्गत होने के 30 दिन के अन्दर भौतिक कब्जा न लेने पर रू0–50.00 प्रतिदिन की दर से भौतिक कब्जा लेने की तिथि तक रख–रखाव शुल्क भी देय होगा। नीलामी सम्बंधी विनियमावली एवं प्रदेशन सम्बंधी विनियमावली के नियम व शर्तें लागू होंगी। किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त महोदय का निर्णय अंतिम एवं स्वीकार होगा।

य. समय–समय पर शासन / परिषद द्वारा बनाये गये नियम आवंटन की तिथि से प्रभावी होंगे।

भवदीय

कनिष्ठ लेखाधिकारी / सम्पत्ति प्रबंधक / सहायक आवास आयुक्त
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

आवंटी द्वारा दिनांक 31/12/07 तक इस कार्यालय में जमा करने वाले प्रपत्रों की सूची

1. कब्जे से पूर्व भूखण्ड के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी रू0 2,46,35,000 एवं रू0–100 का एक नॉन जुडीशियल स्टाम्प पेपर जमा करें। स्टाम्प पेपर की गणना समय–समय पर शासन के आदेशानुसार परिवर्तनीय है।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–16 से 5 नग साईट प्लान प्राप्त कर जमा करायें।
3. राजपत्रित अधिकारी से दो फोटो एवं हस्ताक्षर प्रमाणित कराकर जमा करें। कम्पनी / संस्था की दशा में प्रभार प्रमाण पत्र भी जमा कराना होगा।
4. रू0–50.00 फी–होल्ड पुस्तिका शुल्क जमा करा पुस्तिका कार्यालय से प्राप्त करें।
5. रू0–10.00 के स्टाम्प पेपर पर फी–होल्ड शपथ पत्र।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-16, ☎ 0120-2882112
उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
वसुन्धरा काम्पलेक्स, वसुन्धरा, गाजियाबाद

UPHDB
ISO 9001: 2000
Certified

पत्रांक 38 ए0ई0(निर्माण)/कब्जा पत्र /C.D.16 /67 दिनांक :- 22.10.07

भौतिक कब्जा पत्र

सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी के कब्जा पत्र सं0 3047...../स0प्र0,गा0बाद दि0 16.X.07. द्वारा प्राप्त प्रमाणित हस्ताक्षर एवं फोटो के आधार पर वसुन्धरा योजना सं0-3, गाजियाबाद के सेक्टर- 15.....मे स्थित भवन/भूखण्ड सं0 15/कम-2 का भौतिक कब्जा दि0 22.10.07 मे श्री/श्रीमती/कुमारी रामपाल जूनिया को दिया गया। भूखण्ड /भवन में समाविष्ट कुल क्षेत्रफल 6465.19 वर्गमी0 है। जो कि -

सामनें मे ...80.03....... मीटर।

पीछे में ....80.03........ मीटर।

साइड में ....79.97........ मीटर।

साईड में ....80.00........ मीटर।

अन्य विवरण

आवंटी / कब्जा प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर 22.10.07

नाम रामपाल जूनिया पुत्र श्री देवाराम जूनिया
पता ग्राम व पोस्ट कलरू मेड़तासिटी
नागौर- राजस्थान

नाम ...नरेश कुमार...........
पदनाम : अवर अभियन्ता

काउन्टर हस्ताक्षर
सहायक अभियन्ता
नाम : हरी ओम अग्रवाल

घोषण :-

प्रमाणित किया जाता है कि मैने उक्त भवन/भूखण्ड सं0 15/कम-2........ का स्थल निरीक्षणोपरान्त दि0 22.10.07. को भौतिक कब्जा पूर्ण सन्तुष्टि सहित प्राप्त कर लिया है तथा अब इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।

दिनांक 22.10.07.........

हस्ताक्षर..........
नाम रामपाल जूनिया

पत्रांक 38 /कब्जा पत्र/ दिनांक : 22.10.07

प्रतिलिपि :-

1. श्री/श्रीमती/कुमारी रामपाल जूनिया पुत्र देवाराम जूनिया ग्राम व पोस्ट कलरू मेड़तासिटी नागौर राजस्थान
2. सम्पति प्रबंध अधिकारी, गाजियाबाद।
3. अवर अभियन्ता के रिकार्ड हेतु।
4. खण्ड कार्यालय की पत्रावली हेतु (सम्पति प्रबंध कार्यालय के पत्रांक 3047...../स0प्र0,गा0बाद0 दि0 ..16.X.07.... सहित)

Photocopy

सहायक अभियन्ता

C:\Documents and Settings\sonu cd 16\My Documents\Inventry.doc

कनिष्ठ लेखा लिपिक
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद